प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.10.2025

थाना बबुरी जनपद चंदौली

□थाना बबुरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक वाहन महिन्द्रा बोलेरो से 15 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर 02 तस्करों को किया गया गिरफ्तार
□बरामद अवैध गाँजा की अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख 90 हजार रूपये है।

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने जाने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.),अपर पुलिस अधीक्षक सदर व कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी सूर्य प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में दिनांक-03.10.2025 को थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम दूदे के पास सें महिन्द्रा बोलेरो मैक्स वाहन सं0 UP65QT5514 से कुल 15 बण्डल अवैध गाँजा कुल 15 किलो 600 ग्राम बरामद कर 02 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1.रामू पुत्र सबरू निवासी ग्राम परसदा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष 2. ज्ञानचन्द्र पुत्र पतिराम निवासी ग्राम कैथवलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 36 वर्ष के रुप में हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.रामू पुत्र सबरू निवासी ग्राम परसदा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष

2.ज्ञानचन्द्र पुत्र पतिराम निवासी ग्राम कैथवलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 36 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 148/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बबुरी जनपद चंदौली

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1-उ0नि0 संजीत कुमार सिंह थाना बबुरी जनपद चन्दौली

2- उ0नि0 राकेश यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली

3.हे0का0 उमेश चन्द्र थाना बबुरी जनपद चन्दौली

4.हे0का0 प्रमोद कुमार यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली

5.का0 विशाल गिरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली